

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) न०वि० एवं आवास-08-12/2016 ...../राँची, दिनांक-

**संकल्प**

श्री छट्टु तिग्गा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद् गढ़वा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5483 दिनांक- 05.12.2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली -2016 के नियम-16 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसके संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (से०नि० भा०प्र०से०) थे।

2. पूर्व नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा (से०नि०, भा०प्र०से०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 11393 दिनांक- 14.11.2017 द्वारा श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने की स्थिति में श्री छट्टु तिग्गा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5483 दिनांक- 05.12.2016 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति तथा श्री शुभेन्द्र झा (से०नि०, भा०प्र०से०) द्वारा वापस की गई संचिका श्री ददन चौबे, (से०नि०, झा०प्र०से०) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - ...../राँची, दिनांक- .....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ श्री ददन चौबे (से०नि०, झा०प्र०से०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 5166...../राँची, दिनांक- 06-12-12

प्रतिलिपि : उपायुक्त, गढ़वा/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव